P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -2**

Q1. उपनिधाता एवं उपनिहिती के अधिकारों एवं दायित्वों का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।

उत्तर --उपनिधाता को निम्न अधिकार प्राप्त हैं (Rights of a Bailor) — (1) यदि उपनिहिती उपनिहित माल की उचित और सही देखभाल नहीं करता है और इस कारण माल को कोई क्षति पहुँचती है तो उपनिधाता माल की ऐसी क्षतिपूर्ति का अधिकार रखता है।

(2) यदि उपनिहिती उपनिधान की शर्तों के विपरीत जाकर उपनिहित वस्तु के सम्बन्ध में कोई कार्य करता है तो उपनिधाता को उपनिधान के समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(3) यदि उपनिहिती उपनिहित माल के सम्बन्ध में कोई अनाधिकृत उपयोग करता है तो उपनिधाता ऐसे प्रयोग से उपनिहित माल को हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी है।

(4) जब उपनिहिती उपनिधाता की सहमति लिए बिना उपनिहित माल को अपने निजी माल के साथ मिला देता है और जो अलग-अलग किये जाने योग्य नहीं रहता है तो उपनिधाता सम्पूर्ण माल की क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी है।

(5) उपनिधाता को शुल्क रहित उपनिधान किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार रहता है। भले ही उपनिधान का निर्दिष्ट समय अथवा उद्देश्य पूरा न हुआ हो ।

(6) उपनिधान के निश्चित समय के व्यतीत हो जाने पर अथवा उद्देश्य के पूरा हो जाने पर उपनिधाता उपनिहित माल को उपनिहिती से वापस प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

(7) यदि इसके विपरीत कोई संविदा नहीं है तो उपनिधाता उपनिहित वस्तु में हुई वृद्धि अथवा लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी रहता है।

उपनिधाता के कर्तव्य एवं दायित्वों का वर्णन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 150, 158 और 164 में किया गया है; जो निम्नलिखित हैं

(1) उपनिधाता का यह कर्तव्य है कि वह उपनिधान में रखे गये माल के समस्त दोषों का वर्णन उपनिहिती को कर दे (To disclose all the faults in goods bailed) - उपनिधाता का वस्तु का उपनिधान करते समय यह कर्तव्य होता है कि वह उपनिधान में परिदान किये जाने वाले माल के समस्त दोषों को उपनिहिती को स्पष्ट कर दे, ऐसे दोष जिनका कि उसे ज्ञान है। यदि उपनिधाता उपनिहिती के प्रति अपने इस कर्तव्य को पूरा नहीं करता है तो उसे उपनिहिती को ऐसी सभी हानि की पूर्ति करनी होगी जो उसे वस्तु के दोषों के कारण पहुँची हो। इस नियम से यह स्पष्टं है कि उपनिधाता उन्हीं दोषों से हुई हानि की पूर्ति करने के लिए दायी है जो दोष उसके ज्ञान में हैं एवं जिनके कारण उपनिहिती उस वस्तु को प्रयोग करने से संकट में आ सकता हो।

लेकिन धारा 150 में ही इस नियम का एक अपवाद भी है। वह यह कि जहाँ निक्षेप या में उपनिधान शुल्क सहित है वहाँ उपनिधाता को वस्तु के ऐसे दोषों से हुई हानि की भी उपनिहिती की क्षतिपूर्ति करनी होगी जो दोष उपनिधान करते वक्त उसके ज्ञान में नहीं थे। अत: शुल्क सहित उपनिधान में उपनिधाता को उपनिधान में परिदान की गई वस्तु के दोषों की जानकारी होना आवश्यक नहीं है।

उदाहरण के लिए-अ, ब को घोड़ा सवारी के लिए उधार देता है और यह जानता है कि घोड़ा उद्दण्ड (vicious) है लेकिन वह इसके विषय में ब को नहीं बताता है। घोड़ा भाग जाता है और ब के चोट आती है। ऐसी दशा में अ, ब की क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -2**

अन्य उदाहरण- अ, ब को साइकिल किराये पर देता है। अ यह नहीं जानता है कि साइकिल के ब्रेक खराब हैं। ब साइकिल पर चढ़ता है और ब्रेक खराब होने की वहज से गिर जाता है। गिरने से ब को चोट आती है। अ, ब को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। यद्यपि उसे साइकिल के ब्रेक खराब होने का ज्ञान नहीं था।

(2) उपनिधाता का यह कर्त्तव्य है कि वह उपनिहिती के उन सब आवश्यक व्यय का शोधन करे जो उसने उपनिधान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक रूप से किये हों (Repayment by bailor of necessary expenses incurred by the bailee connection with the bailment) — जहाँ कि उपनिधान की शर्तों के अन्तर्गत, उपनिहिती को उपनिधाता के लिए कोई वस्तु रखनी है अथवा कहीं ले जानी है अथवा उस पर कोई कार्य करना है और उसके लिए उसे उपनिधाता से कोई पारिश्रमिक (remuneration) नहीं मिलना है तो इस दशा में उपनिधाता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उपनिहिती को उन सभी आवश्यक व्ययों का शोधन कर दे जो उपनिहिती ने आवश्यक रूप से उपनिधान के उद्देश्य के लिए किये गये हों।

उदाहरण के लिए- अ, ब को अपनी गाय कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द करता है जिसके लिए ब को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलना है। अ का कर्तव्य है कि वह ब को उन सभी व्ययों के लिए भुगतान करे जो ब ने गाय को चारा खिलाने आदि के सम्बन्ध में किया हो।

(3) उपनिहिती को हुई हानि की रक्षा करना (To indemnify for the loss sustained by the bailee)-उपनिधाता का यह भी कर्तव्य है कि वह उपनिहिती को हुई प्रत्येक ऐसी हानि की रक्षा करे जो उपनिहिती को इस कारण पहुँची हो कि उपनिधाता को वस्तु का उपनिधान करने का, उसको वापस पाने का या उसके सम्बन्ध में आदेश देने का अधिकार नहीं था।

इस प्रकार यदि कोई नौकर अपने मालिक की वस्तु किसी तीसरे व्यक्ति के पास उपनिधान पर रख देता है तो वह उस तीसरे पक्षकार अर्थात् उपनिहिती की प्रत्येक ऐसी हानि की रक्षा करने के लिए बाध्य है जो उसे उसके दूषित अधिकार के कारण हुई हो।

उपनिहिती के अधिकार और कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं

उपनिहिती के अधिकार (Rights of Bailee) (1) उपनिहिती उपनिधाता से ऐसी प्रत्येक हानि की क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार रखता है जो उसे उस कारण हुई हो कि उपनिधाता ने उपनिहित माल के दोषों को बताने में चूक की थी।

(2) जब उपनिहिती को उपनिधाता के लिये उपनिधान की शर्तों के कोई माल रखना है, उसे कहीं ले जाना है या उस पर कोई कार्य करना है और उपनिहिती को उसके लिये उपनिधाता से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलना है तो वह इस दशा में उपनिधाता से उन सब व्ययों का परिशोध पाने का अधिकारी है जो उसने उपनिधान के उद्देश्य के लिये आवश्यक रूप से किये हों।

(3) जहाँ उपनिधान शुल्क रहित है और उपनिहिती ने उपनिहित माल के सम्बन्ध में निश्चित या उद्देश्य के आधार पर इस प्रकार कार्य किया है कि उस निश्चित समय या उद्देश्य को पूरा होने से पहले उपनिहित माल को लौटाने से उसे प्राप्त लाभ से अधिक हानि उठानी पड़ेगी तो इस दशा में यदि उपनिधाता उस उपनिहित माल को निश्चित समय तथा उद्देश्य के पूरा होने से पहले वापस ले लेता है, तब उपनिहिती उपनिधाता से उस हानि की क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार रखता हैं जो हानि प्राप्त लाभ से अधिक है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(4) जहाँ उपनिधाता को वस्तु को उपनिहित करने का या उसे वापस पाने का अधिकार या उसके सम्बन्ध में आदेश देने का अधिकार नहीं था और इस कारण उपनिहिती को कोई हानि हुई है. तो वह इस हानि की क्षतिपूर्ति कराने का भी अधिकारी है।

(5) जहाँ अनेक सहस्वामियों ने किसी वस्तु को उपनिहित किया है, वहाँ उपनिहिती उनमें से किसी एक सहस्वामी को अन्य सहस्वामियों की सहमति लिये बिना वस्तु को लौटाने का अधिकार नहीं रखता है।

(6) किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उपनिहिती को उपनिहित वस्तु के सम्बन्ध में विशिष्ट पूर्वाधिकार भी प्राप्त हो जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उपनिहिती को उपनिहित माल सम्बन्ध में प्राप्त अधिकार को प्राप्त करने से रोकता है अथवा अन्य प्रकार से हानि पहुँचाता है तो उपनिहिती ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का अधिकार रखता है।

उपनिहिती के कर्त्तव्य (Duties of Bailee) - भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत उपनिहिती के निम्नलिखित कर्त्तव्य होते हैं---

(1) युक्तियुक्त सावधानी का कर्त्तव्य-अंग्रेजी विधि में इस प्रयोजन के लिए उपनिहिती को दो कोटियों में विभाजित किया गया है– अनुप्राहिक उपनिहिती तथा पुरस्कार के लिए उपनिहिती परन्तु भारतीय विधि में इन दोनों में कोई भेद नहीं किया गया है तथा दोनों के लिए सावधानी का एक ही स्तर रखा गया है। धारा 151 के अनुसार--...

"प्रत्येक उपनिधान की अवस्था में उपनिहिती बाध्य है कि वह अपने उपनिहित वस्तुओं की वैसी ही देख-रेख करे जैसी कि मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति वैसी परिस्थितियों में उसी परिणाम, किस्म या मूल्य की, जैसी कि उपनिहित वस्तुएँ हैं, अपनी वस्तुओं की करता।"

भारतीय संघ बनाम अमर सिंह A.I.R. 1960, S.C. 233 के बाद में वस्तुएँ पाकिस्तान के शहर क्वेटा से नई दिल्ली भेजी गई थीं। पाकिस्तान रेलवे द्वारा वस्तुओं के लाये जाने के पश्चात वस्तुएँ भारतीय रेलवे द्वारा ले जायी गयीं। वस्तुएँ रास्ते में खो गयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को दायित्वाधीन ठहराया क्योंकि वह उपेक्षा के दोषी थे तथा उन्होंने वस्तुओं की उतनी देख-रेख नहीं की थी, जितनी एक मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति अपनी वस्तुओं की करता।

(2) उपनिहित वस्तुओं को लौटाने का कर्त्तव्य-उपनिहिती का यह कर्त्तव्य है कि ज्यों ही उस समय का, जिसके लिये माल उपनिहित किया गया था, अवसान हो जाये या वह प्रयोजन, जिसके लिए वह माल उपनिहित किया गया था पूरा हो जाय, उपनिहित माल को माँग के बिना वापस कर दे या उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार परिदत्त कर दे।

परन्तु यह उल्लेखनीय है कि धारा 160 के अन्तर्गत उपनिहिती का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जबकि माल उसकी चूक के कारण उपनिधाता को उचित समय पर वापस नहीं होता है और यदि ऐसा नहीं है और माल बिना उपनिहिती की त्रुटि या चूक के किसी विधि के अन्तर्गत विधिमान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते समय उससे ले लिया जाता है तो वह माल वापस न करने के लिये दायी नहीं होगा।

जे. के. ऑयल मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया A.I.R. 1976, S.C. 227 के वाद में रेल प्रशासन को कलकत्ता पहुँचाने के लिये तेल दिया गया। कलकत्ता पहुँचने पर तेल इस आधार पर जब्त कर लिया गया कि उसमें मिलावट है और बाद में उच्च न्यायालय ने भी इस आरोप को सत्य पाया और उसे नष्ट कर दिया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिना रेल अधिकारियों की चूक या त्रुटि के माल नष्ट किया गया था और इस कारण उस माल को वापस न करने के लिये रेल प्रशासन उत्तरदायी नहीं था।

(3) उचित प्रयोग करने का कर्त्तव्य-उपनिहिती का धारा 153 के अनुसार, यह कर्त्तव्य है कि वह उपनिहित वस्तुओं का उचित प्रयोग करे। यदि उपनिहिती उपनिहित वस्तुओं के सम्बन्ध में उपनिधान की शर्तों से असंगत कोई कार्य करता है तो उपनिधान की संविदा उपनिधाता के विकल्प पर शून्यकरणीय है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(4) वस्तुओं के साथ मिश्रण न करने का कर्त्तव्य-उपनिहिती का कर्तव्य है कि वह उपनिहित वस्तुओं को बिना उपनिधाता की सम्मति के अपनी वस्तुओं के साथ मिश्रित न करें। यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति से उपनिधाता की वस्तुओं को अपनी वस्तुओं में मिश्रित करता, है तो उपनिधाता और उपनिहिती इस प्रकार उत्पन्न मिश्रण में क्रमश: अपने-अपने अंशों के अनुपात में हित रखेंगे।

(5) उपनिधाता के हक को इन्कार न करने का कर्त्तव्य-अँग्रेजी विधि का सामान्य नियम है कि उपनिहिती उपनिहित वस्तुओं के प्रति उपनिधाता के हक से इन्कार नहीं करेगा। संविदा अधिनियम की धारा 166 के अनुसार, यदि उपनिधाता का वस्तुओं पर कोई हक नहीं है और उपनिहिती उनको उपनिधाता का या उसके निर्देशों के अनुसार सद्भावना से वापस परिदत्त कर देता है तो उपनिहिती ऐसे परिदान के बारे में स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) लाभ की देनगी का कर्त्तव्य-धारा 163 के अनुसार, उपनिहिती का कर्तव्य है कि वह न केवल उपनिहित वस्तुयें वरन् उन पर हुई वृद्धि या लाभ को भी उपनिधाता को दे।

उदाहरण के लिए - A एक गाय को देख-रेख किये जाने के लिए B की अभिरक्षा में छोड़ता है। गाय के बछड़ा पैदा होता है। B उस बछड़े और गाय को A को परिदत्त करने के लिए बाध्य है।

Q2. उपनिधान, उपनिधाता तथा उपनिहिति को परिभाषित कीजिये तथा उपनिहिति के कर्तव्यों को विस्तार से समझाइये ।

उत्तर --उपनिधान क्या है? (What is Bailment?) - उपनिधान के सम्बन्ध में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148 का निर्देश है कि 'उपनिधान' एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर वस्तुओं का परिदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाये तो वे लौटा दी जायेंगी या परिदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्य व्यक्ति को दे दी.जायेंगी। वस्तुओं का परिदान करने वाला व्यक्ति 'उपनिधाता' कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको वे परिदत्त की जाती हैं, 'उपनिहिती' कहलाता है।

A "bailment' is the delivery of goods by one person to another for some purpose, upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is called the 'bailor'. The person to whom they are delivered is, called the 'bailee'.

(धारा 148)

व्याख्या- इस धारा की व्याख्या में यह भी महत्त्वपूर्ण बात है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके कि अधिकार में पहले से ही दूसरे का माल है, उस माल को एक उपनिहिती की भाँति रखने की संविदा करता है तो इस संविदा के परिणामस्वरूप वह व्यक्ति उपनिहिती बन जाता है और उस माल का स्वामी उपनिधाता हो जाता है यद्यपि यह माल उपनिधान द्वारा सुपुर्द नहीं गया है।

उपनिधान के आवश्यक तत्त्व (Essential Elements of Bailment)--ये तत्त्व निम्न प्रकार हैं---

(1) दो पक्षकार (Two Parties)-उपनिधान को संविदा हेतु कम से कम दोपक्षकार होने चाहिए। वस्तुओं का परिदान करने वाला 'उपनिधाता' तथा दूसरा व्यक्ति जिसे वस्तु दी जाती है, 'उपनिहितो कहलाता है। पक्षका

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(2) वस्तु का हस्तान्तरण (Delivery of goods)-उपनिधान का यह आवश्यक तत्व कि इसके अन्तर्गत वस्तु का हस्तान्तरण होना चाहिए। यह या तो वास्तविक (Actual) हस्तान्तरण होता है अथवा रचनात्मक (Constructive) हस्तान्तरण रूप में भी हो सकता है।

(3) अस्थायी प्रयोजन (Temporary Purpose) - उपनिधान की संविदा के मामले में वस्तु केवल अस्थायी प्रयोजन हेतु दी जाती है जबकि विक्रय में प्रयोजन स्थायी होता है।

(4) विशिष्ट वस्तुओं का लौटाना (Return of Special Goods) - इसके अन्तर्गत ऐसी संविदा का होना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत यह लक्षित हो कि अस्थायी प्रयोजन के समाप्त होने पर वस्तु वापिस लौटा दी जायेगी।

(5) संविदा का उपस्थित होना (Presence of a Contract) - यह एक संविदा के अन्तर्गत होना चाहिए, अतः जहाँ न्यायालय ने किसी अवयस्क की सम्पत्ति किसी के पास रखवा दी है तो यह उपनिधान नहीं होगा (Mohammad Ibrahim Vs. Govt. of U.P 1956)

उपनिधान के लक्षण (Characteristics of bailment)-उपनिधान का मुख्य लक्षण माह की सुपुर्दगी है। यह माल की सुपुर्दगी वास्तविक रूप से हो सकती है या रचनात्मक रूप से ।

वास्तविक सुपुर्दगी का उदाहरण-अ कुछ दिन के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा पर जाता है। यात्रा के दौरान की अवधि तक के लिए वह अपनी गाय सुरक्षित रखने हेतु ब के सुपुर्द का जाता है। यहाँ अ और ब के मध्य उपनिधान की संविदा वास्तविक सुपुर्दगी द्वारा की गई है।

रचनात्मक सुपुर्दगी का उदाहरण- अ, ब की दुकान से कोई अमुक वस्तु खरीदता है और उसका पैसा चुकाने के बाद वह वस्तु व दुकानदार के पास ही इस आशय से छोड़ देता है कि वह पास के टॉकीज में पिक्चर देखने के उपरान्त लौटते वक्त वस्तु वापिस लेता जायेगा। यहाँ अ और ब के मध्य उपनिधान की संविदा रचनात्मक सुपुर्दगी द्वारा हुई है क्योंकि वास्तविक रूप से अने को माल की सुपुर्दगी नहीं की है।

उपनिधान संविदा का दूसरा प्रमुख लक्षण अस्थायी उद्देश्य' है अर्थात् उपनिधान के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु की सुपुर्दगी हमेशा के लिए नहीं चाहिए बल्कि कुछ समय के लिए होनी चाहिए। जहाँ सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तान्तरित कर दी गई है और जो वापस लौटाने के लिए नही है, वह उपनिधान नहीं कहलाता है। (Gangaram Vs. Crown, 1943 Nag. 436) इस प्रकार जो वस्तु धन या किसी वस्तु के बदले में दी गई है तो वहाँ भी उपनिधान नहीं होता बल्वि 'वस्तु का विक्रय' या ' वस्तु का विनिमय' होता है।

उपनिधान संविदा का तीसरा आवश्यक लक्षण यह है कि उपनिधाता को वही वस्तु वापर प्राप्त करने का अधिकार होता है जो उसने उपनिधान में परिदत्त की हैं। इस आधार पर बैंक में रुपया जमा करना या अन्य किसी को ऋण प्रदान करना उपनिधान की श्रेणी में नहीं आते लेकिन उनिधान वहाँ भी पाया जाता है जहाँ कि उपनिधान में परिदत्त वस्तु का रूप परिवर्तित कर दिय जाता है, जैसे–गेहूँने वाले द्वारा गेहूँ को आटे (lour) में बदलना।

उपनिधान के विभिन्न रूप (Different kinds of bailment)-उपनिधान कई प्रकार का हो सकता है, जो निम्न प्रकार हैं

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(1) जब उपनिधान द्वारा वस्तु सुरक्षित रखने के लिए उपनिहिती को परिदत्त की जाती है तो उपनिधान वस्तु सुरक्षित रखने के लिए होता है।
(2) जब उपनिधाता उपनिहिती को वस्तु इस उद्देश्य से सुपुर्द करता है कि वह इसका उपयोग करे तो प्रयोग करने के लिए वस्तु का उपनिधान किया जाता है। इसके लिए शुल्क लिया जाता है।
(3) जब उपनिधाता उपनिहिती को वस्तु इस उद्देश्य से परिदत्त करता है कि उपनिहिती उस पर कोई कार्य करे और उसके लिए उपनिधाता उपनिहिती को निर्धारित शुल्क देता है।
(4) जहाँ वस्तु किसी दोस्त को प्रयोग में लाये जाने के लिए उधार दी जाती है वहाँ इसके लिए शुल्क नहीं लिया जाता है।
(5) जहाँ वस्तु ऋण की प्रतिभूति स्वरूप दूसरे को परिदत्त की जाती है।
(6) जहाँ वस्तु उसे कहीं ले जाने या उस पर कोई कार्य किये जाने के उद्देश्य से सुपुर्द की जाती है।

उपनिहिती के कर्त्तव्य (Duties of Bailee) - भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत उपनिहिती के निम्नलिखित कर्त्तव्य होते हैं)

(1) युक्तियुक्त सावधानी का कर्त्तव्य--अंग्रेजी विधि में इस प्रयोजन के लिए उपनिहिती को दो कोटियों में विभाजित किया गया है-अनुग्राहिक उपनिहिती तथा पुरस्कार के लिए उपनिहिती परन्तु भारतीय विधि में इन दोनों में कोई भेद नहीं किया गया है तथा दोनों के लिए सावधानी का एक ही स्तर रखा गया है। धारा 151 के अनुसार---

"प्रत्येक उपनिधान की अवस्था में उपनिहिती बाध्य है कि वह अपने उपनिहित वस्तुओं को वैसी हो देख-रेख करे जैसी कि मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति वैसी परिस्थितियों में उसी परिणाम, किस्म या मूल्य की, जैसी कि उपनिहित वस्तुएँ हैं, अपनी वस्तुओं की करता ।'
भारतीय संघ बनाम अमर सिंह A.I.R. 1960, S.C. 233 के बाद में वस्तुएँ पाकिस्तान के शहर क्वेटा से नई दिल्ली भेजी गई थीं। पाकिस्तान रेलवे द्वारा वस्तुओं के लाये जाने के पश्चात् वस्तुएँ भारतीय रेलवे द्वारा ले जायी गयीं। वस्तुएँ रास्ते में खो गयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को दायित्वाधीन ठहराया क्योंकि वह उपेक्षा के दोषी थे तथा उन्होंने वस्तुओं की उतनी देख-रेख नहीं की थी, जितनी एक मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति अपनी वस्तुओं की करता।
(2) उपनिहित वस्तुओं को लौटाने का कर्त्तव्य-उपनिहिती का यह कर्त्तव्य है कि ज्यों ही उस समय का, जिसके लिये माल उपनिहित किया गया था, अवसान हो जाये या वह प्रयोजन, जिसके लिए वह माल उपनिहित किया गया था पूरा हो जाय, उपनिहित माल को माँग के बिना वापस कर दे या उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार परिदत्त कर दे।
परन्तु यह उल्लेखनीय है कि धारा 160 के अन्तर्गत उपनिहिती का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जबकि माल उसकी चूक के कारण उपनिधाता को उचित समय पर वापस नहीं होता है और यदि ऐसा नहीं है और माल बिना उपनिहिती की त्रुटि या चूक के किसी विधि के अन्तर्गत विधिमान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते समय उससे ले लिया जाता है तो वह माल वापस न करने के लिये दायी नहीं होगा।
जे. के. ऑयल मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया A.I.R. 1976, S.C. 227 के वाद में रेल प्रशासन को कलकत्ता पहुँचाने के लिये तेल दिया गया। कलकत्ता पहुँचने पर तेल इस आधार पर जब्त कर लिया गया कि उसमें मिलावट है और बाद में उच्च न्यायालय ने भी इस आरोप को सत्य पाया और उसे नष्ट कर दिया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिना रेल अधिकारियों की चूक या त्रुटि के माल नष्ट किया गया था और इस कारण उस माल को वापस न करने के लिये रेल प्रशासन उत्तरदायी नहीं था।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(3) उचित प्रयोग करने का कर्त्तव्य-उपनिहिती का धारा 153 के अनुसार, यह कर्त्तव्य है कि वह उपनिहित वस्तुओं का उचित प्रयोग करे। यदि उपनिहिती उपनिहित वस्तुओं के सम्बन्ध में उपनिधान की शर्तों से असंगत कोई कार्य करता है तो उपनिधान की संविदा उपनिधाता के विकल्प पर शून्यकरणीय है।

(4) वस्तुओं के साथ मिश्रण न करने का कर्त्तव्य-उपनिहिती का कर्तव्य है कि वह उपनिहित वस्तुओं को बिना उपनिधाता की सम्मति के अपनी वस्तुओं के साथ मिश्रित न करें। यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति से उपनिधाता की वस्तुओं को अपनी वस्तुओं में मिश्रित करता, है तो उपनिधाता और उपनिहिती इस प्रकार उत्पन्न मिश्रण में क्रमश: अपने-अपने अंशों के अनुपात में हित रखेंगे।

(5) उपनिधाता के हक को इन्कार न करने का कर्त्तव्य- अंग्रेजी विधि का सामान्य नियम है कि उपनिहिती उपनिहित वस्तुओं के प्रति उपनिधाता के हक से इन्कार नहीं करेगा। संविदा अधिनियम की धारा 166 के अनुसार, यदि उपनिधाता का वस्तुओं पर कोई हक नहीं है और उपनिहिती उनको उपनिधाता का या उसके निर्देशों के अनुसार सद्भावना से वापस परिदत्त कर देता है तो उपनिहिती ऐसे परिदान के बारे में स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) लाभ की देनगी का कर्त्तव्य-धारा 163 के अनुसार, उपनिहिती का कर्त्तव्य है कि वह न केवल उपनिहित वस्तुयें वरन् उन पर हुई वृद्धि या लाभ को भी उपनिधाता को दे ।

उदाहरण के लिए - A एक गाय को देख-रेख किये जाने के लिए B की अभिरक्षा में छोड़ता है। गाय के बछड़ा पैदा होता है। B उस बछड़े और गाय को A को परिदत्त करने के लिए बाध्य है।

Q3. गिरवी क्या है? गिरवी एवं उपनिधान में क्या अंतर होता है?

उत्तर भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 172 के अन्तर्गत गिरवीं को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार-"किसी ऋण की देनगी के लिए या किसी प्रतिज्ञा के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में वस्तुओं का उपनिधान गिरवीं' कहलाता है। इस अवस्था में उपनिधान 'आकर्ता' कहलाता है। उपनिहिती 'आग्रहीता' कहलाता है। "

"The bailment of goods as a security for payment of a debt or performance of a promise is called 'pledge'. The bailor is, in the case, called the 'pawnor'. The bailee is the pawnee."

इस तरह गिरवीं वहाँ उत्पन्न हो जाती है जहाँ कि उपनिधान के द्वारा अपनी वस्तुएँ दूसरे व्यक्ति के पास उससे उधार लिए धन की जमानत के रूप में रख दी जाती हैं।

उदाहरण के लिए- क, ख से 500 रुपये उधार लेता है और प्रतिभूति के रूप में उसके पास अपनी अँगूठी छोड़ देता है। यहाँ यह एक गिरवीं है।

गिरवीं का निर्धारण, माल के स्वामी को वस्तु लौटाने मात्र से निश्चयात्मक रूप से नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि कोई आग्रहीता आकर्ता को एक सीमित उद्देश्य से माल पुनः सुपुर्द कर देता है तो इससे गिरवीं का समापन नहीं हो जाता है (North Western Bank Vs. Poynter 1875, A.C.56) ।

वैध गिरवीं के आवश्यक तत्त्व (Essentials of a valid pledge) -

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -2**

(1) गिरवीं का प्रथम आवश्यक लक्षण अधिकार का हस्तान्तरण है अर्थात् आङ्कर्ता के द्वारा माल के अधिकार का हस्तान्तरण आकर्ता को ही जाना चाहिए और इसके सम्बन्ध में यह भी जरूरी है कि आकर्ता का माल पर वैधानिक अधिकार होना चाहिए, केवल शारीरिक अधिकार (mere physical possession) नहीं। (Seagor Vs. Hukma Kessa, (1990) 24, Bom. 458] इस प्रकार एक नौकर के द्वारा अपने स्वामी के माल की वैध गिरवीं नहीं की जा सकती है।

(2) गिरवीं केवल चल वस्तुओं की ही की जा सकती है, अचल वस्तुओं की गिरवीं नहीं होता है।

गिरवीं और उपनिधान में भेद (Difference between pledge and bailment) – गिरवीं के अन्तर्गत माल आग्रहीता के पास जमानत के रूप में रखा जाता है जबकि उपनिधान के सम्बन्ध में माल को सुपुर्दगी इस आशय से नहीं होती है ।

गिरत्रों में आग्रहीता को किन्हीं विशेष दशाओं में गिरवों रखे गये माल को बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जबकि उपनिधान में उपनिहिती को उपनिहित माल को बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। उसे केवल उस माल के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार गिरवीं में आग्रहीता को गिरवीं रखे गये माल को प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है जबकि उपनिधान में उपनिहिती को वस्तु के प्रयोग करने का अधिकार होता है, यदि उपनिधान वस्तु के प्रयोजन के उद्देश्य से किया गया है।)

गिरवीं और पूर्वाधिकार में भेद (Difference between pledge and lien) – गिरवों को - उत्पत्ति संविदा द्वारा होती है जबकि पूर्वाधिकार की उत्पत्ति अधिनियम के परिणामस्वरूप होतो है। गिरवीं वस्तुओं को जमानत के रूप में रखने के लिए होती है, लेकिन पूर्वाधिकार वस्तुओं को अपने कब्जे में रोक रखने के लिए होता है। गिरवीं माल के कब्जे के साथ-साथ नहीं रहती है. अर्थात् माल को वापस कर देने मात्र से गिरवीं समाप्त नहीं हो जाती है; जबकि पूर्वाधिकार माल के कब्जे के साथ-साथ रहता है। कब्जे के न रहने पर पूर्वाधिकार भी नहीं रहता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW